न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या	01 / 2024
प्रविष्टि दिनांक	12.01.2024
जीसीएमएस नं0	5–6 / 2024

महावीर पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर निवासी रामथला पटवार मण्डल मालेडा तहसील देवली जिला टोंक राज.

.....अपीलांट

बनाम

नायब तहसीलदार नासिरदा, तहसीलदार देवली, जिला टोंक राज0

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार नासिरदा तह. देवली दिनांक 27.12.2023 प्रकरण सं. 606 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री पवन जैन व श्री पर्युष जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 14/11/25

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा तहसील देवली ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2023 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 राजकीय सिवायचक भूमि वाके ग्राम रामथला तह. देवली पर नींव भरकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, निर्धारित लगान 27.52 रू. का 50 गुणा जुर्माना कुल 1376 रू. जमा कराने तथा तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं वास्तविक तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह लिखा हैं कि खुले मकान पर नोटिस चस्पा किया गया, इसी को बाद तामिल मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। कानूनन नोटिस की चस्पांदगी के लिए जब तक न्यायालय का स्पष्ट आदेश न हो तो तामील कुनिन्दा नोटिस चस्पा नहीं कर सकता है। निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पटवारी हलका के बयान भी लेखबद्ध नहीं किये। अपीलान्ट का नया कोई सरकारी अतिक्रमण नहीं है, बल्कि पहले अपीलान्ट के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा था, उनके बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर सद्भावना पूर्वक काबिज चला आ रहा है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के लगातार, लम्बे, पुराने कब्जे के बारे में जांच नहीं की।

अपीलान्ट ने वर्षों पहले इस भूमि को काबिल काश्त बनाया था जिसमें काफी मेहनत व धन खर्च किया था, उक्त भूमि को अपीलान्ट को बेदखल करने का 30 साल का समय निकल चुका है, पूर्व में इसके पूर्वजों को भी कभी विधि की सम्यक प्रकिया अपनाकर बेदखल नहीं किया था, अपीलान्ट भूमिहीन, गरीब, काश्तकार है। उक्त भूमि में अपीलान्ट के अधिकार–हित नियत हो चुके है, अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है, अपीलान्ट के परिवार के रहने, जानवरों को बांधने, कृषि यंत्रों, चारा आदि रखने, कृषि उपज, खाद, रेवड़ी के लिये भी अन्य कोई भूमि नहीं है, यह भूमि अपीलान्ट के हक में नियमन करने योग्य है, नायब तहसीलदार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय दिनांक 27.12.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। अपीलांट के मौके पर नहीं मिलने से नियमानुसार नोटिस की प्रति दो गवाहों की उपस्थिति में खुले मकान पर चस्पा किया गया परन्तु बावजूद सूचना अपीलांट स्वयं या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि अतिक्रमी ने अवैध रूप से राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 86 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर में से 0.45 हैक्टेयर पर नींव भरकर, रजका, गै.मु. चाह व जोत कर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि पर से अतिक्रमी को संवत् 2079 में अधीनस्थ न्यायालय की मिसल संख्या 1329/2022 निर्णय दिनांक 08.02.2023 द्वारा बेदखल किया जा चुका है किन्तु अतिक्रमी ने राजकीय आदेशों की अवहेलना कर पुनः सिवायचक भूमि में नींव भरकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया था परन्तु अपीलान्ट स्वयं या उसकी ओर से कोई प्रतिनिधि अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हैं कि अतिक्रमी ने अवैध रूप से राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 86 कुल रकबा 1.03 हैक्टेयर में से 0.45 हैक्टेयर पर नींव भरकर, रजका, गै.मु. चाह व जोत कर कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि पर से अतिक्रमी को संवत् 2079 में अधीनस्थ न्यायालय की मिसल संख्या 1329/2022 निर्णय दिनांक 08.02.2023 द्वारा बेदखल किया जा चुका है किन्तु अतिक्रमी ने राजकीय आदेशों की अवहेलना कर पुनः सिवायचक भूमि में नींव भरकर अतिक्रमण किया है।

अपीलांट को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण नहीं करने हेतु लिखित रूप से पाबन्द किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी अपीलांट ने जबरन नींव भरकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था। न्यायालय हाजा द्वारा नायब तहसीलदार नासिरदा से मौका रिपोर्ट तलब करने पर प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 413 दिनांक 14.08.2025 में भी अंकित हैं कि अतिक्रमी ने नींव भरकर निर्माण कार्य किया था जो कि यथावत पड़ा हुआ है। अतिक्रमण बरकरार है। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2023 सही है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा का निर्णय दिनांक 27.12.2023 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक